न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 25 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
दलूदेवी पुत्री लाधाराम, पत्नी मूलाराम उम्र 68 साल, जाति जाट निवासी गोलिया जेतमाल, तहसील गुड़ामालानी, हाल निवासी कागों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा	1. कोजाराम पुत्र राउराम, उम्र 77 साल, जाति सुथार, निवासी कागो की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा 2. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी, जिला बालोतरा

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28 / 2017 बउनवान कोजाराम बनाम दलुदेवी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जोगराज पोटलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—24.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / उतरदाता ने अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान सहायक कलक्टर, सिणधरी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौज़ा कागों की ढाणी में खसरा संख्या 362 रकबा 7.8149 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त आराजी अपीलांट की पैतृक है और अपीलांट का 1 / 3 हिस्सा है। उत्तरदाता संख्या 01 खरीददार खातेदार है जिसका उक्त आराजी में 2 / 3 हिस्सा है। और इसी तरह से पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। हस्तगत वाद एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी तरफ से पैरवी के लिये अधिवक्ता नियुक्त किया गया लेकिन अधिवक्ता के द्वारा उक्त वाद पत्रावली में पैरवी नहीं की गयी और सम्पूर्ण पत्रावली एकतरफा कार्यवाही में सम्पन हो गयी। अपीलांट अपने अधिवक्ता की गलती से उक्त वाद में अपना पक्ष पेश करने से वंचित् रह गयी थी। अपीलांट की ओर से दावे का जवाब, प्रतिदावा, साक्ष्य व अंतिम बहस में भाग लेने से वंचित रह गयी थी। एक वकील की गलती की सजा पक्षकार को दी जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व नियमों की अनदेखी करते हुए एकतरफा विधि विरूद्ध बनाया गया। अपीलांट की आवासीय ढाणी जो वर्षों से बनी हुई है वह ढाणी वाला भाग व अपने हिस्से में आने वाले खेत के तारबंदी आदि की हुई है जिसको वादी के हिस्से में देकर भारी भूल की है, जिससे अपीलांट को बड़ी क्षति होगी, जिसका हर्जाना रूपयों में नहीं आंका जा सकता। वादी/उत्तरदाता जो ग्रामीण सड़क पर जिस प्रकार से काबिज है उससे ज्यादा जगह पर रोड़ पर नक्शा बनाया गया है। और नक्शे में किसी प्रकार से नाप का उल्लेख नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव में आये नक्शे से ज्यादा भूमि सड़क पर उत्तरदाता के नाम से तरमीम की गई। उत्तरदाता के द्वारा जानबूझकर उक्त बंटवारे में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 को लम्बे समय तक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नामांतकरण नहीं करवाया गया और अब दिनांक 09.01.2024 को उक्त निर्णय की पालना में नामांतकरण करवाया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। उत्तरदाता के द्वारा जानबूझकर उक्त बंटवारे में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 को लम्बे समय तक नामांतकरण नहीं करवाया गया और अब दिनांक 09.01.2024 को उक्त निर्णय की पालना में नामांतकरण करवाया गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 26.01.2024 को गांव की स्कूल में ध्वजारोहण के समय वहां पर उपस्थित ग्रामीणों के माध्यम से हुई। तब अपीलांट के द्वारा पटवारी से सम्पर्क कर रेकर्ड की जानकारी व जमाबंदी की प्रति लेकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विभाजन के दावे की पत्रावली की नकलें दिनांक 29.01.2024 को प्रांप्त कर इस त्रुटिपूर्ण विभाजन के आदेश का ज्ञान हुआ। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त थे। हस्तगत वाद दिनांक 19.04.2017 को दर्ज किया गया। अपीलांट को जबाव पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जबाव पेश नहीं करने कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2020 को जबाव बंद किया गया। हस्तगत वाद में दिनांक 28.09.2022 को प्राथमिक डिक्री अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित की गई। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किसी प्रकार की कोई अपील पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 25.01.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2017 बउनवान कोजाराम बनाम दलुदेवी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.01.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

24/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर